



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-01062026-273036
CG-WB-E-01062026-273036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2669]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2669]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISTHA 11, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 29 मई, 2026

का.आ. 2762(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989, (रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित) की धारा 2 के खण्ड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्रूप से नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम-(4) में वर्णित रेलवे परियोजना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य-निष्पादित करें तथा उपर्युक्त तालिका के ही कॉलम (3)-में वर्णित राज्य में कार्य-निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन के लिए भी वह कार्य करें तथा यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

तालिका

क्रमांक (1)	सक्षम प्राधिकारी (2)	राज्य (3)	रेलवे परियोजना का नाम (4)
1.	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एलए) पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिला में भूमि अधिग्रहण के लिए, विशेष रेलवे परियोजना के रूप में "आसनसोल डिवीजन में कालीपहाड़ी को बायपास करते हुए मोहिशिला (दक्षिण पूर्व रेलवे) को आसनसोल यार्ड से जोड़ने वाली कालीपहाड़ी बाईपास लाइन(4.75 किमी)"।

[फा. सं. मु.प्र.अ./नि./भू./ 328]

मनोज खाँ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[Eastern Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 29th May, 2026

S.O. 2762(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, (as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008) the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the **Competent Authority** in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number (1)	Competent Authority (2)	State (3)	Name of Railway Project. (4)
1.	Additional District Magistrate(LA) Paschim Bardhaman	West Bengal	"Kalipahari by-pass line connecting Mohishila (SER) with Asansol yard by passing kalipahari (4.75 km) line" in Asansol Division as Special Railway Project for acquisition of land in Paschim Bardhaman District of West Bengal.

[F. No. CAO/Con/L/328]

MANOJ KHAN, Chief Administrative Officer/Con.